



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179377

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 8136 वर्ष 2026

विपिन कुमार उर्फ विपिन शर्मा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : जय शंकर पांडेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0534 सन् 2021, धारा 147, 148, 149, 352, 504, 323, 307 आई.पी.सी., थाना-खैर, जनपद-अलीगढ़ में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त उल्लिखित मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को वर्तमान मामले में 11 अन्य नामजद अभियुक्तों के साथ नामजद किया गया है। आरोप मुकेश शर्मा, संजय शर्मा और राहुल शर्मा के साथ मारपीट करने का है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि घायल संजय शर्मा को 2 चोटें आई हैं। घायल मुकेश शर्मा को 1 चोट आई है और घायल राहुल शर्मा को 3 चोटें आई हैं। किसी भी चोट को जीवन के लिए खतरनाक नहीं बताया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और उसे **आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 11491 सन् 2021** में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था। आवेदक ने **धारा 482 संख्या के तहत आवेदन 21817 सन् 2024** में कार्यवाही को चुनौती दी थी, जिसे इस न्यायालय द्वारा कुछ निर्देशों के साथ निरस्त कर दिया गया था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि रिट याचिका में अंतरिम आदेश आवेदक के पक्ष में प्रभावी था, जिसे अंततः इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 25.03.2026 को निरस्त कर दिया गया, इसलिए उसके पश्चात ही आवेदक ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए न्यायालय का रुख किया है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक कथनों का खंडन नहीं कर सके।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तों की संख्या तीनों घायलों के शरीर पर पाई गई चोटों की संख्या से बहुत अधिक है। किसी भी चोट को जीवन के लिए खतरनाक नहीं बताया गया है। न्यायालय की राय में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त एक ही परिवार के हैं और आपस में निकट संबंधी हैं, आवेदक को अत्यधिक नामजद अथवा झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जांच के दौरान आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया था और आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के पश्चात अब उसे किसी अभिरक्षा में पूछताछ के लिए आवश्यकता नहीं है।

7. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9. आवेदक-**विपिन कुमार उर्फ विपिन शर्मा** आज से चार सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

i. आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो;

ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

25 अगस्त, 2026

सचिन